

(ग) 'प्रोपन लाइन' को ऐसे कर्मचारियों को सौंपने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में बोर्ड के आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क) विवरण इस प्रकार है :

1. रेलपथ :

(i) गोमी, चन्द्रपुरा ट्रांजरी लाइन दुगदा चरण-I और II

(ii) फुलवारतानर-जमुनियाननगर लाइन का दोहरीकरण

(iii) पतरातु और बेरमी के मध्य मुख्य याई में रेलपथ कार्य

(iv) बरकाना-परिहार लाइन ।

2. निर्माण कार्य

(i) सुंदानडीह और धनबाद के बीच पाइप लाइन

(ii) जामेश्वर बिहार और दुनरी के बीच अनुरक्षण कार्य

(iii) पतरातु और बेरमी के बीच भिन्न-भिन्न निर्माण कार्य ।

(ख) चालू लाइन को दी गई परि-मत्पत्तियों के सम्बन्ध में रेलपथ के लिए 329 कर्मचारी और निर्माण कार्यों के लिए 30 कर्मचारी मण्डल इजीनियर, धनबाद को दिये गये थे ।

(ग) सामान्य नियमों के अनुसार परि-मत्पत्तियों के सृजन के बाद रेलवे के निर्माण और चालू लाइन संगठनों के बीच अनुरक्षण-

पदों के सृजन के प्रस्ताव के बारे में वित्त विभाग की सहमति से संयुक्त रूप से विनिश्चय किया जाता है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कोराला जयंत रेल लाइन

1583. श्री राम प्यारे पनिका : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोराला जयंत रेल लाइन का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे विभाग ने अभी तक राज्य सरकार को किसानों को वितरण के लिए मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें मुआवजा कब तक दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) चरण 1 केरायला रोड से काकरी तक 33.05 कि० मी० की कुल लम्बाई में से 21.43 कि० मी० की लाइन को 30-6-1981 तक खोले जाने की आशा है ।

चरण 2—काकरी से जयन्त (अर्थात् शेष 11.62 कि० मी०) को खोले जाने की लक्ष्य तिथि 31-3-1982 है बशर्ते कि 31-3-1981 तक उ० प्र० सरकार द्वारा अपेक्षित भूमि को खाली कब्जा दिला दिया जाये ?

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।